

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/मुख्यालय के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

ज्वाल मिडिली कंपनी कावाशीय प्रमाणपत्र

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पति-1
कावाशीय

आवेदन क्रमांक 132 दिनांक 03/06/2019
 प्रार्थी ज्वाल मिडिली कंपनी कावाशीय श्री बाबुलाल चौधरी (2) बाबुलाल चौधरी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 610 श्री रत्नाराम चौधरी
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय 8 No: 29 कमला नैशनल नगर प्रवास
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश डिप्टी सेक्टर 3
 कर स्थानिकारण राजि रुपये 10345/- का
 जरिये रसीद संख्या 1038/1614, 1615
 दिनांक 03/06/2019 को जमा करा दी है ।

प्रमाणित
 प्रारूपकार
 नगर निगम, जोधपुर

Himanshu
 Choudhary
 10 BL
 Choudhary
 Copy Received
 3/6/2019